न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

श्रीमती मनोहरी देवी बनाम कविता देवी

मु.नं. 10 वर्ष 2023

किस्म मुकदमा अपील (75)

दिनांक	आज्ञा – पत्र
	इन्द्राज किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 08/10/25 को पेश हो
8/10/25	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलार्थी उप. बहस उपलब्ध न होने से पुनः की पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17/10/25 को पेश हो
17/10/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई वकील अपीलार्थी द्वारा पत्रावली राजस्व का अवलोकन किया बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण के निस्तारण जाकर दाखिल पत्रावली किया पालनार्थ तहसीलदार सीकर ग्रामीण को भिजवाई जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 15:25:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी— राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

<u>नम्बर मुकदमा— अपील / 10 / 2023</u>

01. श्रीमती मनोहरी देवी उम्र 54 वर्ष पत्नी मनोहरलाल जाति मेघवाल निवासीनी मौहल्ला कारीगरान वार्ड नं. 22 पुराना सीकर तहसील व जिला सीकर
02. श्रीमती पुष्पा देवी उम्र 41 वर्ष पत्नि बालकृष्ण वर्मा जाति मेघवाल निवासिनी वार्ड नं. 25 रावण का टीबा सीकर तहसील व जिला सीकर
03. श्रीमती वीणा देवी उम्र 54 वर्ष पत्नी भागीरथमल मोरदिया जाति मेघवाल निवासीनी वार्ड 22, कारीगरों का मौहल्ला कब्रिस्तान के पास सीकर तहसील व जिला सीकर

— अपीलान्ट्स

बनाम

01. कक्रता देवी पुत्री मालाराम
02. रेखा देवी पुत्री मालाराम
03. सीता देवी पुत्री मालाराम
04. करण पुत्र सोहनलाल नाबालिग संरक्षक माता ममता देवी
05. गजानन्द पुत्र मालाराम
06. गीता देवी पत्नी मालाराम
07. चन्द्रभान पुत्र गोकुलचन्द
08. प्रिया पुत्री सोहनलाल नाबालिग संरक्षिका माता ममता देवी
09. मुकेश कुमार पुत्र मालाराम
10. ममता देवी पत्नी सोहनलाल
11. रतनलाल पुत्र गोकुलचन्द
12. रवि कुमार पुत्र गोकुलचन्द
13. राजकुमार पुत्र गोकुलचन्द
14. राहुल पुत्र सोहनलाल नाबालिग संरक्षण माता ममता देवी
15. विमला देवी पत्नी गोकुलचन्द
16. सुबीता देवी पुत्री मालाराम
    समस्त जाति रैगर निवासीगण ग्राम रामपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
17. हल्का पटवारी, कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
18. तहसीलदार, सीकर ग्रामीण तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
19. सरपंच, ग्राम पंचायत, कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
20. उमरदीन पुत्र स्व. जमालुदीन उर्फ जुम्मा
21. युनुस पुत्र स्व. जमालुदीन उर्फ जुम्मा
22. शरीफ पुत्र स्व. जमालुदीन उर्फ जुम्मा
23. जब्बार पुत्र स्व. जमालुदीन उर्फ जुम्मा
24. शौकत पुत्र स्व. जमालुदीन उर्फ जुम्मा
25. आसिफ पुत्र स्व. जमालुदीन उर्फ जुम्मा
26. जरीना पुत्री स्व. जमालुदीन उर्फ जुम्मा
    समस्त जाति कसाई [illegible] वारी, जुम्मा तन ग्राम संतोषपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 15:25:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

27. नजमा पुत्री स्व. जमालुदीन उर्फ जुम्मा पत्नी शरीफ मोहम्मद जाति कसाई मुसलमान निवासीनी मोहल्ला व्यापारियान ग्राम लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
28. बानो पुत्री स्व. जमालुदीन उर्फ जुम्मा पत्नी जाकिर जाति कसाई मुसलमान निवासीनी मोहल्ला व्यापारियों का नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
29. सबिना पुत्री स्व. जमालुदीन उर्फ जुम्मा पत्नी अजीज जाति कसाई मुसलमान निवासीनी अगुणा मोहल्ल व्यापारियान, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू
30. सादिका पुत्री स्व. जमालुदीन उर्फ जुम्मा पत्नी हारून जाति कसाई मुसलमान निवासीनी पीपली चौक, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 487 दिनांक 19.02.2023 ग्राम संतोषपुरा पटवार हल्का कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर, जो दिनांक 06.04.2023 को अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कासली द्वारा खारिज किया गया है।

उपस्थिति–
01. श्री बनवारी लाल बरवड़, वकील अपीलांट्स की ओर से
02. श्री चुन्नीलाल सैनी, वकील रेस्पोंडेंट्स सं. 1 ता 16 की ओर से
03. श्री राजेन्द्र कुमार मातवा, वकील रेस्पोंडेंट सं. 19 की ओर से
04. श्री विद्याधर सुण्डा, वकील रेस्पोंडेंट्स सं. 20 ता 30 की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक–17.10.2025

वकील अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 16 के खाते कब्जे काश्त की भूमि ग्राम संतोषपुरा पटवार हल्का कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में खसरा सं. 62 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, खसरा सं. 87 रकबा 0.8000 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.9000 हेक्टेयर अवस्थित थी। उक्त वर्णित भूमियों के खातेदारों रेस्पोडेन्ट सं. से 16 को अपनी वैध निजी एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति, भरण पोषण, शिक्षा–दीक्षा हेतु रूपयों की आवश्यकता होने पर रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 16 ने भूमि को अपीलांट्स के समक्ष विक्रय करने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर अपीलांट्स ने उक्त वर्णित भूमियों अपीलांट्स सं. 1 व 2 ने बहिस्सा बराबर–बराबर क्रय कर ली तथा प्रतिफल राशि जरिए अलग–अलग चैक विक्रेतागण को अदा कर दी, जिसका संपूर्ण विवरण विक्रय–पत्र में अंकित है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 16 ने अपीलांट्स के पक्ष में दिनांक 06.02.2023 को विक्रय–पत्र उपपंजीयक, सीकर ग्रामीण जिला सीकर के कार्यालय में निष्पादित करवा दिया, जो दिनांक 06.02.2023 को पंजीबद्ध किया गया। अपीलांट्स ने विक्रय–पत्र दिनांक 06.02.2023 की फोटो प्रति हल्का पटवारी कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर को देकर अपने पक्ष में नामान्तरकरण करवाने हेतु निवे[illegible] ने नामान्तरकरण सं. 487 दिनांक 19.02.2023 अपीलांट्स के पक्ष में दर्ज कर [illegible] भू अभिलेख निरीक्षक दूजोद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिन्होंने दिनांक [illegible] नामान्तरकरण सं. 487 में हुए इन्द्राज को सही होने की रिपोर्ट की तत्पश्चात् [illegible]6.04.2023 [illegible] सरपंच ग्राम पंचायत कासली / अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्रयकर्ता एवं [illegible] नहीं होने का सर्वथा झूठा व काल्पनिक आधार बनाकर नामा[illegible] खारिज कर दिया, जो नामान्तरकरण संबंधी नियमों को इग्नोर करते हुए नामान्तरकरण खारिज करने का निर्णय किए जाने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 15:25:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

निर्णय/आदेश निरस्त होने योग्य है। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि रेकार्डेड खातेदार द्वारा विधिवत रूप से किए गए बेचान और बेचान पत्र में कब्जा संभला दिये जाने की स्वीकारोक्ति है, तो नामान्तरकरण स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा कब्जे की जांच संबंधी प्रक्रिया की जाना विधि विरूद्ध है। इसलिए योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वेषतावश कार्यवाही करते हुए नामान्तकरण खारिज किए जाने के आदेश/निर्णय दिनांक 06.04.2023 को खारिज किया जाना उचित आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अपीलांट्स के पक्ष में रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 16 द्वारा कराये गये विक्रय–पत्र दिनांक 06.02.2023 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि विक्रेतागण द्वारा अपीलांट को प्रतिफल के बदले कब्जे का हस्तानान्तरण किया है तथा भूमि का कब्जा अपीलांट्स को सौंपने का उल्लेख विक्रय–पत्र में है तो कानूनी रूप से यह मानने की बाध्यतता है कि क्रेता को कब्जा दिया गया है, जिन तथ्यों को नजरअंदाज कर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाना निर्णय/आदेश पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। विक्रय–पत्र के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण में योग्य अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की समरी जांच करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकारिता के बाहर जाकर नामान्तरकरण खारिज करने का निर्णय/आदेश पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण खारिज करने के निर्णय/आदेश से पूर्व अपीलांट्स को अपना पक्ष रखने की कोई सूचना या सुनवाई का अवसर नहीं दिया। इसलिए नामान्तरकरण सं. 487 ग्राम संतोषपुरा पटवार हल्का कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के बाबत पारित आदेश निर्णय दिनांक 06.04.2023 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अपील माननीय न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में होने से अपील अंदर मियाद उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. 487 दिनांक 19.02.2023 ग्राम संतोषपुरा पटवार हल्का कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के बाबत ग्राम पंचायत कासली पंचायत समिति धोद जिला सीकर द्वारा दिनांक 06.04.2023 को नामान्तरकरण खारिज किए जाने के आदेश को निरस्त किया जाकर अपीलांट्स के पक्ष में विक्रय–पत्र दिनांक 06.02.2023 के अनुसार नामान्तरकरण अपीलांट्स के नाम स्वीकृत किए जाने का तहसीलदार महोदय, सीकर ग्रामीण जिला सीकर को आदेश दिये जाने की कृपा करें।"

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट सं. 17 व 18 पर विधिवत तामील पूर्ण हो चुकी है। रेस्पोडेंट्स सं. 1 ता 16 की ओर से श्री चुन्नीलाल, एड. ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेंट सं. 19 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार मातवा, एड. ने वकालतनामा पेश किया। शेष रेस्पोडेंट्स सं. 20 ता 30 की ओर से श्री विद्याधर सुण्डा, एड. ने वकालतानामा पेश किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराकर कथन किया कि अपीलांट्स के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के द्वारा वर्णित आराजियात खरीदी हुई है, जिसका नामान्तरकरण ग्राम पंचायत, कासली के द्वारा विधिविरूद्ध खारिज किया गया है। अतः अपील को स्वीकार की जावें। इसके विपरीत वकील रेस्पोंडेंट सं. 19 ने बहस के दौरान कथन किया कि उनके द्वारा नियमानुसार नामान्तरकरण खारिज कर भरा गया था। अतः अपील खारिज की जावें। वकील रेस्पोंडेंट्स सं. 20 ता 30 ने बहस के दौरान कथन किया कि हस्तगत अपील में वर्णित आराजियात पर मौके पर उनके पिता (जमालुदीन उर्फ जुम्मा व दीना पुत्र करीमा) का कब्जा कई सालों से होने के बावजूद भी वर्णित बेचान दिनांकित 06.02.2023 विधिविरूद्ध किया गया है। अतः अपील को खारिज किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में कुछ न्यायिक दृष्टांत– धारा 19 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की प्रति, आर.आर.डी. 1994 पेज सं. 129, आर.आर.डी. 1990 पेज सं. 90, 479, 277, 2022 आर.बी.जे. पेज सं. 29, 1999 आर.आर.डी. पेज सं. 232, 1977 आर.आर.डी. पेज सं. 577, 1977 आर.आर.डी. पेज सं. 576, 2019(1)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 16:25:20 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

आर.आर.टी. पेज सं. 593, 1979 आर.आर.डी. पेज सं. 148, 1979 आर.आर.डी. 189 आदि पेश किये गये। वकील रेस्पोंडेंट्स सं. 1 ता 16 की ओर से उक्त अपील स्वीकार करने पर अनापत्ति जाहिर की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न विवादित नामान्तरकरण सं. 487 ग्राम संतोषपुरा पटवार हल्का कासली के संबंध में ग्राम पंचायत कासली द्वारा भरा गया, जिसमें अपीलांट्स द्वारा उक्त नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है। उक्त नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति के अनुसार वर्णित विक्रय–पत्र के नामान्तरकरण में वर्णित भूमियों पर अन्य तीसरे व्यक्ति जमालुददीन का कब्जा है। खसरा सं. 62, 87 विवादित होने तथा कब्जा नहीं होने बाबत कारण का उल्लेख किया जाकर नामान्तरकरण खारिज किये जाने का उल्लेख है। विक्रय–पत्र के नामान्तरकरण के संबंध में कब्जे–काश्त व सुनवाई आदि की जांच का बिंदु का क्षेत्राधिकार संबंधित ग्राम पंचायत को नहीं होकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) में यह शक्ति संबंधित तहसीलदार को होता है। जबकि हस्तगत प्रकरण में संबंधित ग्राम पंचायत, कासली के द्वारा उक्त नामान्तरकरण को खारिज किया गया, जो कि विधिविरूद्ध है। प्रकरण में विवाद आदि के संबंध में संबंधित वकील रेस्पोंडेंट सं. 19 व वकील रेस्पोडेंट्स सं. 20 ता 30 की ओर से ऐसा कोई सबूत साक्ष्य/दस्तावेजात आदि पेश नहीं किया गया है। जिन कारणों से उक्त वर्णित नामान्तरकरण खारिज किया गया है। साथ ही प्रकरण में वकील रेस्पोडेंट्स सं. 20 ता 30 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण की प्रकृति व इस स्टेज पर चस्पा नहीं होते है। अतः विवादित नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर प्रकरण को तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. 487 वाके ग्राम संतोषपुरा दिनांकित 19.02.2025 ग्राम पंचायत, कासली के द्वारा दिनांक 06.04.2023 को निरस्त किये गये नामान्तरकरण को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट्स सं. 1 ता 3 (श्रीमती मनोहरी देवी आदि) के पक्ष में बने विक्रय–पत्र सं. 202301569000779 दिनांकित 06.02.2023 के संबंध में जांच कर नियमानुसार उक्त नामान्तरकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक .10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 15:25:20 IST
Reason: SelfAttested